055 प्रति

न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 95/2021 GCMS No 2021/261
दायरा तिथि : 06.10.2021
फैसला तिथि : 14-5-22

**प्रार्थी::–**

नरपतसिंह पुत्र भैरूसिंह
निवासी बिरोलिया तहसील बाली

**बनाम**

**अप्रार्थी :–**

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री नरपतसिंह ................................ अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली ................................ पैरोकार सरकार की ओर से

**–:: आदेश ::–** दिनांक 14-5-22

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम बिरोलिया तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 182 रकबा 1.7800 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम नरपतसिंह पुत्र भेरा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम नरपतसिंह पुत्र भैरूसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **नरपतसिंह पुत्र भेरा** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **नरपतसिंह पुत्र भैरूसिंह** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम नरपतसिंह पुत्र भेरा** के स्थान पर **नरपतसिंह पुत्र भैरूसिंह** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी श्री नरपतसिंह ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **नरपतसिंह पुत्र भैरूसिंह** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित आधार कार्ड की प्रति पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम **नरपतसिंह पुत्र भेरा** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम बिरोलिया तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 182 रकबा 1.7800 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम नरपतसिंह पुत्र भेरा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम नरपतसिंह पुत्र भैरूसिंह शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 14-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner